छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 559/2007</u>

1. **श्री इंदरचन्द सोनी,** – *अपीलार्थी*
जवाहर चौक,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
छ0ग0 शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 18 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री इंदरचन्द सोनी ने दिनांक 18.01.2007 को जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य सचिव को आवेदन पत्र भेजा था तथा दिनांक 27.02.2007 को सहायक जन सूचना अधिकारी को पत्र प्राप्त होने पर इनके द्वारा संबंधित विभाग को कार्यवाही हेतु भेजा गया, इससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा दिनांक 14.03.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, किन्तु प्रथम अपील का समुचित निराकरण नही होने के कारण अपीलार्थी द्वारा असंतुष्ट होकर दिनांक 08.06.2007 को आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में चूंकि सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विषय नही था, अतः उनके द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को अधिनियम के प्रावधान अनुसार हस्तांतरित किया गया और उसके बाद वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपीलार्थी को वांछित जानकारी दिनांक 03.02.2007 को भेजी गई थी । अपीलार्थी ने अपने विस्तृत आवेदन में जितने भी तर्क प्रस्तुत किये है, वे कुतर्क की श्रेणी में आते हैं और अंतरण संबंधी नियम-प्रावधानों का उल्लंघन बता रहे है, वह स्पष्ट नही किया गया है और इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी को यह लिखना कि यदि वे उचित समझे तो उपस्थित हो सकते हैं, अपीलार्थी का यह उचित तर्क नही है । इसी प्रकार दो बार जानकारी भेजी है और शासन पर व्यय भार पड़ा है, यह अपीलार्थी का विषय नही है, यह शासन का विषय है और शासन जो आवश्यक समझेगा करेंगा तथा प्रकरण में विलंब के लिए किसी प्रकार

की दुर्भावना नही है, अतः शास्ति की कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नही होती है । चूंकि अब जानकारी प्रदान की जा चुकी है, अतः अन्य कोई कार्यवाही आवश्यक नही है ।

3/ अतः अपीलार्थी की उक्त अपील निरस्त की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त